राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 26.06.2020

आदेश

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण कॉल के संकट में समय–समय पर कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय–समय पर एडवायजरी जारी की है। सरकार की प्राथमिकता इस संक्रमण से ग्रसित नागरिकों की मृत्यु को रोकना है। कई शोधों एवं राज्य स्तर पर गठित विशेषज्ञों की एडवायजरी कमेटी से चर्चा के उपरान्त यह संज्ञान में आया है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त में रात्रि मे निद्रा के समय श्वसन दर कम होने व अन्य Physiological कियाओं के कारण आक्सीजन की मात्रा कम रहती है।

चूंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का श्वसन तंत्र इस बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है एवं इन्हें श्वास लेने में कठिनाई होने के कारण आक्सीजन सेचुरेशन कम होना एक प्रमुख लक्षण है। अतः इन मरीजों में अर्द्धरात्रि में आक्सीजन का स्तर रक्त में और अधिक कम होने के कारण अचानक मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है।

इसकी गम्भीरता को देखते हुए घरों में रह रहे रोगी तथा चिकित्सालय स्तर पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को न्यूनतम रखे जाने व इस संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के जीवन को बचाने हेतु यह आवश्यक है कि इन मौतों को रोकने के लिए, रात्रि के समय मरीजों के ऑक्सीजन सेचुरेशन की लगातार निगरानी हो। दिन के दौरान चार घंटे में एक बार सेचुरेशन की निगरानी की जाये लेकिन रात्रि में हर दो घंटे या एक घंटे में एक बार निगरानी की जानी चाहिए। यदि मरीज में ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट देखी जाये तो रोगी को जगाया जाये और उसको आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाये। उक्त के साथ ही कोविड–19 के रोगियों में रात्रिकालिन गम्भीरताओं को रोकने हेतु रात्रि के समय भारी आहार देना, अधिक वार्तालाप करना, शौचालय जाना भी टालना चाहिए।

कोविड–19 से होने वाली मृत्यु की संभावना को न्यूनतम किये जाने के लिये समस्त चिकित्सक तथा नर्सिंग कार्मिकों को उपरोक्त विषय के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये। उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 मरीजों की सघन देखभाल की जाये और आवश्यक उपचार का उचित प्रबंधन किया जाए।

26/06/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
9. समस्त, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार कौशिक)
शासन उप सचिव